

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)

25/1



14

क्रमां. ज-एफ-4(4)आरडी/आरडी/NREGA Budget/06

जयपुर, दिनांक : 18.01.2008

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,  
समस्त राजस्थान ।

विषय:- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत ग्राम रोजगार सहायकों के चयन बाबत ।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत ग्राम रोजगार सहायकों के चयन बाबत पूर्व में जारी समस्त निर्देशों को विलोपित करते हुए निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

1. ग्राम रोजगार सहायकों का चयन संविदा आधार पर जिला स्तर पर किया जावेगा। जिला स्तर पर चयन हेतु एक समिति का गठन किया जाता है। जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के अतिरिक्त, जिला कलेक्टर के एक प्रतिनिधि सदस्य होंगे।
2. प्रार्थना पत्र जिला स्तर से विज्ञापन जारी किया जाकर आमन्त्रित किये जावेंगे। जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सेक्टर को ध्यान में रखते हुए चयन किया जावेगा।
3. प्रथम प्राथमिकता उसी गांव के रहने वाले प्रार्थी को दी जावेगी। गांव विशेष का प्रार्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में ग्राम पंचायत क्षेत्र के प्रार्थी का तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र का प्रार्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में पंचायत समिति क्षेत्र के प्रार्थी का एवं पंचायत समिति क्षेत्र का भी प्रार्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में जिला स्तर के प्रार्थी का चयन किया जावेगा। बीपीएल सूची के प्रार्थी को अन्य प्रार्थियों की तुलना में प्राथमिकता दी जावेगी।
4. शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम सीनियर सेकण्डरी होगी। कम्प्यूटर का ज्ञान एवं उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले प्रार्थी को प्राथमिकता दी जावेगी।
5. चयनित प्रार्थियों की सूची तैयार की जाकर पंचायतवार चयनित प्रार्थी का विवरण संबंधित ग्राम पंचायत को भिजवाया जावेगा। चयनित अभ्यर्थी के साथ ग्राम पंचायत द्वारा संविदा आधार पर नियोजन हेतु निर्धारित प्रपत्र में अनुबन्ध किया जावेगा।
6. सेवा अनुबन्ध वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 09.01.07 के अनुसार किया जावेगा।

आपसे अनुरोध है कि ग्राम रोजगार सहायकों का चयन उक्त वर्णित प्रक्रिया के अनुसार किया जावे। यदि आप द्वारा पूर्व प्रक्रिया अनुसार चयन की कार्यवाही आरम्भ कर दी गई हो तो उसे निरस्त किया जाकर उपरोक्तानुसार चयन की कार्यवाही सुनिश्चित करवें।

भवदीय,

(आर. के. भारद्वाज)

परि. निदे. एवं उप सचिव (ग्राम)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/ राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज0।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज0।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस, ग्रामीण विकास विभाग, राज0।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, (ग्रामीण विकास), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज0।
5. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, (पंचायती राज), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज0।
6. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान ।
7. समस्त परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

परि. निदे. एवं उप सचिव (ग्राम)

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



कम-एफ-4(4)आरडी/आरई/NREGA Budget/06

जयपुर, दिनांक : 19.01.2008

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,  
समस्त राजस्थान ।

विषय:- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत ग्राम रोजगार सहायकों के चयन बाबत।

संदर्भ:- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 18.01.08

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत ग्राम रोजगार सहायकों के चयन बाबत उक्त संदर्भित पत्र द्वारा जारी निर्देशों के बिन्दु संख्या 2 व 3 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

2. प्रार्थना पत्र जिला स्तर से विज्ञापन जारी किया जाकर आमन्त्रित किये जावेंगे। जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के रोस्टर को ध्यान में रखते हुए चयन किया जावेगा। आरक्षण हेतु 100 बिन्दु रोस्टर के आधार पर भर्ती की जाकर प्रार्थी पंचायतों को आवंटित किये जावेंगे।
3. प्रथम प्राथमिकता उसी पंचायत के प्रार्थी को दी जावेगी। यदि पंचायत में प्रार्थी उपलब्ध नहीं हो तो साव की पंचायत के अभ्यर्थी को और फिर भी उपलब्ध न हो तो पंचायत समिति के प्रार्थी का चयन किया जावेगा। पंचायत समिति क्षेत्र का प्रार्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में जिला स्तर के प्रार्थी का चयन किया जावेगा। बीपीएल-2002 की सूची के प्रार्थी को अन्य प्रार्थियों की तुलना में प्राथमिकता दी जावेगी।

आपसे अनुरोध है कि ग्राम रोजगार सहायकों का चयन उक्त वर्णित संशोधित प्रक्रिया को समाविष्ट करते हुए किया जावे।

भारतीय,

(आर. के. भारद्वाज)

परि. निदे. एवं उप सचिव (ग्राम)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

निजी सचिव, माननीय मंत्री/ राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज0।

निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज0।

निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस, ग्रामीण विकास विभाग, राज0।

निजी सचिव, शासन सचिव, (ग्रामीण विकास), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज0।

निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, (पंचायती राज), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज0।

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान ।

समस्त परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।

रक्षित पत्रावली।

परि. निदे. एवं उप सचिव (ग्राम)



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक-एफ-4(4)आरडी/आरई/NREGA Budget/06जयपुर, दिनांक : 29.01.2008

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,  
समस्त राजस्थान ।

विषय:- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत ग्राम रोजगार सहायकों के चयन बाबत।

संदर्भ:- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 18.01.08, 19.1.2008

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत ग्राम रोजगार सहायकों के चयन बाबत उक्त संदर्भित पत्रों द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। इसी संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्राम रोजगार के चयन में अनु. जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग एवं महिलाओं का आरक्षण नियमानुसार लागू होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार ग्राम रोजगार सहायकों के चयन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

भवदीय,  
परी

(आर. के. भारद्वाज)

परि. निदे. एवं उप सचिव (ग्रामो)

- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/ राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर। राज0।
  2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज0, जयपुर।
  3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस, ग्रामीण विकास विभाग, राज0।
  4. निजी सचिव, शासन सचिव, (ग्रामीण विकास), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज0, जयपुर।
  5. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, (पंचायती राज), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज0, जयपुर।
  6. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान, जयपुर।
  7. समस्त परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
  8. रक्षित पत्रावली।

परी

परि. निदे. एवं उप सचिव (ग्रामो)